दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 02.09.2009
निर्णय की तिथि : 07.09.2009

आप.अ. सं.103/1995

मदन लाल ...याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री सीमा गुलाटी, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत भरीहोक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां
2. रिपोर्टर को प्रेषित किया जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हां

न्या. संजय किशन कौल

1. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 14.08.1989 को शिकायतकर्ता अजीत कुमार अपने चचेरे भाई विजय कुमार (मृतक) को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जा रहा था और रास्ते में मिल्क बूथ के पास पहाड़गंज पुल पर लगभग शाम 9:30 बजे अपीलार्थी से मिला। अपीलार्थी ने उसे देखकर उसे गाली देना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता से पूछा कि उसने

उसे लड़कियों को छेड़ने के लिए अपनी गली में आने से क्यों रोका था।

इसके बाद कथित है कि अपीलार्थी ने उसे गाली दी थी कि वह इस पर आपत्ति करने वाला कौन है। शिकायतकर्ता ने उसे मामले को रफा दफा करने को कहा लेकिन अपीलार्थी ने अपीलार्थी को गली देना जारी रखा और उसके बाद विजय कुमार ने अपीलार्थी को थप्पड़ मार दिया। अपीलार्थी ने एक चाकू निकाला और विजय कुमार को दो बार चाकू मारा और शिकायतकर्ता के बीच बचाव पर उसे भी चाकू मार दिया। विजय कुमार की चाकू की चोटों के कारण मौत हो गई।

2. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता. की धारा 302 व 307 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.09.1994 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार अपीलार्थी को दोनों अपराधों का दोषी ठहराया तथा दिनांक 26.09.1994 के दंडादेश के माध्यम से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता. की धारा 302 के तहत अपराध हेतु आजीवन कारावास की सजा एवं भारतीय दंड संहिता. की धारा 307 के अधीन अपराध हेतु पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही दंडादेश समवर्ती रूप से एक साथ चलने थे।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को धारा 304 भाग II, के तहत दंडनीय अपराध तक सीमित कर दिया है न कि भारतीय दंड संहिता. की धारा 302 के तहत। भारतीय दंड संहिता. की धारा

307 के तहत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि को चुनौती देने की कोशिश नहीं की क्योंकि अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा उसे दी गई सजा की अवधि पहले ही भोग चुका था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई शत्रुता नहीं थी और इसलिए अपीलार्थी की ओर से उसे मारने का कोई उद्देश्य नहीं था।

विद्वान अधिवक्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का भी लाभ लेना चाहते हैं। धारा 300 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

> **"300. हत्या**
>
> इसके बाद के मामलों को छोड़कर, आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया है, या -
>
> ---
>
> ---
>
> **---**
>
> अपवाद 4 - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना जोश में आ कर जुनून की उत्तेजना में अचानक लड़ाई में और अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना की जाती है।"

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि घटना बिना किसी पूर्व-चिंतन के एवं आवेग में अचानक लड़ाई में हुई। यह भी बताया गया

कि अपीलार्थी की शिकायतकर्ता के साथ बहस हुई थी, जिसके साथ दो से चार दिन पहले कुछ टकराव हुआ था। अधिवक्ता ने यह दर्शाने हेतु इस तथ्य पर भरोसा जताने का प्रयास किया है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई शत्रुता नहीं थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह मृतक ही था जिसने सबसे पहले अपीलार्थी को थप्पड़ मारा था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता. की धारा 300 के चौथे अपवाद के संबंध में **रवींद्र शालिक नाइक व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,** 2009 (2) स्केल 354 के पैरा 6 में दिए गए स्पष्टीकरण को निम्नानुसार संदर्भित किया हैः-

> "6. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। उक्त अपवाद अभियोजन के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्व-चिंतन की अनुपस्थिति है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की उत्तेजना है जो पुरुषों के शांत चित्त को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में है; लेकिन की गई चोट उस उत्तेजना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिसके अध्यारोही भले ही कोई आघात किया गया हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का पश्चात्वर्ती आचरण उन्हें दोषी

होने के संबंध में समान स्थान पर रखता है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है दोनों और से उकसाना और दोनों ओर से आघात। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे का होना नहीं माना जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। एक लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसाना और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक लड़ने वाले पर दोष के हिस्से को विभाजित करना कठिन होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्व-चिंतन के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई में मारे गए व्यक्ति के साथ हुई हो। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की उत्तेजना हेतु आवश्यक है कि जुनून को शांत करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पक्षों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संव्याध है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम की व्याख्या करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और क्या एक झगड़ा

अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग हेतु, यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था। अतिरिक्त रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अन्यायपूर्ण लाभ'। धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003) (5) सुप्रीम 223, प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2004) (11) एससीसी 381, बायवरापू राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2007) (11) एससीसी 218 तथा दिनांक 12.1.2009 को निपटाई गई बुड्डू खान बनाम उत्तराखंड राज्य वि.अनु.या. (आप.) सं. 6109/08 में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।"

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत परिभाषित हत्या के आरोप की तुलना में हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध हत्या को **पप्पु बनाम मध्यप्रदेश राज्य,** *2009 (4) स्केल 521* के निर्णय को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

"7. यह हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लेकर आता है कि कौन सा उचित प्रावधान लागू किया जाना था। भारतीय दंड संहिता की योजना में आपराधिक मानव वध वंश है तथा 'हत्या' इसकी प्रजाति है। सभी 'हत्या' 'आपराधिक मानव वध' है, लेकिन विलोमतः यह सत्य नहीं है। आम तौर पर कहें तो, हत्या की विशेष विशेषताओं के बिना 'अपराधिक मानव वध' हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध है जो हत्या के समान नहीं है। सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, भारतीय दंड संहिता व्यावहारिक रूप से 'आपराधिक मानव वध' के तीन स्तरों को मान्यता देती है। पहला है, जिसे,

'प्रथम श्रेणी का 'आपराधिक मानव वध' कहा जा सकता है। यह आपराधिक मानव वध का सबसे गंभीर रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'दूसरी श्रेणी का आपराधिक मानव वध' कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर है, 'तृतीय श्रेणी का 'आपराधिक मानव वध'। यह सबसे निम्न स्तर का 'आपराधिक मानव वध' है और इन के लिए दी गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में न्यूनतम है। इस स्तर का आपराधिक मानव वध धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।

8. 'हत्या' और 'हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध' के बीच के विद्या सम्बन्धी अंतर ने हमेशा न्यायालयों को परेशान किया है। यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देते हैं, तो वे स्वयं को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं, तो भ्रम पैदा होता है। इन प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करने का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 व धारा 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी।

धारा 299 **धारा 300**

एक व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी है यदि वह वह कार्य करता है जिसके द्वारा मृत्यु कारित होती है -	कुछ अपवादों के अधीन, आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित होती है -
	आशय
(क) मृत्यु कारित करने के आशय से; या	1) मृत्यु कारित करने के आशय से; या
(ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से जो मृत्यु कारित करने का कारण बनता है; या	2) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से जिसे अपराधी जानता है जो संभवतः उसकी मृत्यु कारित करने के कारण बन सकती है जिसे चोट पहुंचाई गई है; या 3) किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से तथा शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है; या
	ज्ञान
	****
(ग) इस ज्ञान के साथ कि इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है	4) इस ज्ञान के साथ कि कार्य ऐसा है जो आसन्न रूप से घातक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और ऐसी चोट की मृत्यु का जोखिम पैदा करने के लिए कोई बहाना नहीं है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

8. उपरोक्त संदर्भित मामले में, आरोपी और मृतक के तीखी नोकझोंक के परिणामस्वरूप गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के सीने पर

चोट लगी, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत आठ वर्ष के अभिरक्षा दंडादेश के साथ दोषसिद्धि के लिए उपयुक्त मामला अभिनिर्धारित किया गया। ।

9. हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त विधिक सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होंगे जिसमें अचानक लड़ाई हुई है और दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि यह मृतक ही था जिसने पहला थप्पड़ मारा था। मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई पूर्व रंजिश या शत्रुता नहीं थी। मृतक अपने चचेरे भाई के साथ मौजूद था, जिसका अपीलार्थी के साथ झगड़ा हो गया था। कोई पूर्व-चिंतित कृत्य नहीं था। मृतक द्वारा थप्पड़ मारने से स्थिति और बिगड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने चाकू निकालकर मृतक और शिकायतकर्ता को चाकू मार दिया। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में मामला पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और इस प्रकार अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, हम दंडादेश पर आक्षेपित आदेश को संशोधित करते हैं और अपीलार्थी को दस (10) वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरने और 2,000.00/- रुपये का जुर्माना देने का दंड देते हैं; और जुर्माना देने में चूक करने पर, अपीलार्थी को दो (2) महीने के कठोर कारावास से गुजरना होगा।

10. उपरोक्त विस्तार तक अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है। अपीलार्थी के जमानत बंधपत्र एवं प्रतिभूति बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है क्योंकि नामावली के अनुसार वह पहले ही कारावास की अवधि से भोग चुका है।

संजय किशन कौल, न्या.

अजीत भरीहोक, न्या.

07 सितंबर ,2009
एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*